

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों के मानदेय भुगतान हेतु ₹ 4.26 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 के प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 से 3**

जिला-दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर के लिए मूल्य निगरानी को मजबूत बनाने के लिए नवीन योजना "प्राईस मॉनिटरिंग सेल" हेतु राशि ₹ 7.18 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,18,484 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 से 5**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 98.74 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 98,74,537 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 6408**

**मद क्रमांक 6**

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।